

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 191*

जिसका उत्तर मंगलवार 29 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

भारी उद्योगों में अनुसंधान और विकास

191*. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विकसित विनिर्माण संबंधी उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संस्थाओं की सहायता से भारी तथा अन्य उद्योगों की वर्तमान और भावी अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन संस्थाओं के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं;
- (ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) यह योजना देश के उद्योग क्षेत्र को किस प्रकार से और किस हद तक लाभ पहुंचाएगी?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे और श्री आनंदराव अडसुल द्वारा “भारी उद्योगों में अनुसंधान और विकास” के संबंध में पूछे गए दिनांक 29.11.2016 के तारांकित प्रश्न सं. 191 के भाग (क) से (ड) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारी उद्योग विभाग द्वारा भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी इस स्कीम के अंतर्गत वस्त्र मशीनरी (शटलरहित करघों का उन्नयन), मशीन टूल्स, वेल्डिंग एंड स्मार्ट पंप्स के क्षेत्र में चार उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं। इन उत्कृष्टता केन्द्रों पर विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों में चुस्त/उच्च श्रेणी के तत्व होंगे।

विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलोर भी उद्योग के साथ उच्च श्रेणी की विनिर्माण प्रौद्योगिकियां विकसित करने में लगे हुए हैं।

(ख) से (ड): उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना करने के लिए संस्थानों का निर्धारण भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी इस स्कीम के लिए अधिसूचना में किया गया था। इस स्कीम की अधिसूचना की प्रति www.dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

उत्कृष्टता केन्द्रों से घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी गहनता में वृद्धि करने तथा विनिर्माण के लिए नए, अति परिशुद्ध और तीव्र तौर-तरीकों को सहजता से अपनाने में मदद मिलेगी।
